

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 393] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 21, 1978/श्रावण 30, 1900
No. 393] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 21, 1978/SRAVANA 30, 1900

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

पेंड्रोलियम, रसायन और उर्बरक मंत्रालय

(रसायन और उर्बरक विभाग)

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 1978

आवृत्ति

क्र. आ. 511(अ).—केंद्रीय सरकार, औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश 1970 के पैरा 4 के उपपैरा (1) के अनुसरण में, भारत सरकार के भूतपूर्व पेंड्रोलियम, रसायन, खान और धातु मंत्रालय (खान और धातु विभाग) के आदेश सं. क्र. आ. 1873, तारीख 18 मई, 1970 में निम्नलिखित और संशोधन करती हैं, अर्थात् :—

उक्त आदेश से संलग्न सारणी में "क्लोरोमैफोनिकल" से संबंधित मद 7 के सामने स्तंभ 2 में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“मूल विनिर्माताओं के लिए

(1) प्रति किलो 558.00 रु. (जहां उसी विनिर्माता द्वारा विनिर्दिष्ट सूत्रणों में बहुमात्रा में औषधि का उपयोग किया जाता हो)

(2) (अन्य को विक्रय के लिए) प्रति किलो 586.00 रु. ;

(3) ऐसे एककों के लिए जो एल-बेस को क्लोराम्फेनिकल में सेपारेशन में लगे हों।

प्रति किलो 460.00 रु.”

[सं. 8(10)/77-रस.डी. 2]

एम. वदरिजन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICALS & FERTILIZERS

(Department of Chemicals and Fertilizers)

ORDER

New Delhi, 21st August, 1978

S.O. 511(E).—In pursuance of sub-paragraph (1) of paragraph 4 of the Drugs (Prices Control) Order, 1970, the Central Government hereby makes the following further amendments to the Order of the Government of India in the late Ministry of Petroleum, Chemicals, Mines and Metals (Department of Mines and Metals) No. S.O. 1873, dated, the 18th May, 1970, namely :—

In the Table appended to the said Order, against item 7 relating to Chloramphenicol, in column 2, for the existing entries, the following shall be substituted, namely :—

“(a) For basic manufacturers.

(i) Rs. 558.00 per kg. (where the bulk drug is used in the formulations manufactured by the same manufacturer) ;

(ii) Rs. 586.00 per kg. (For sale to others).

(b) For units engaged in conversion of L—Base into Chloramphenicol.
Rs. 460.00 per kg.”

[No. 8(10)/77-Ch-I/D-II]

M. VARADARAJAN, Jt. Secy.